<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.</u>

प्रकरण संख्या : 90 / 2018
दायरी दिनांक : 02.11.2018

<u>अनवान</u>

1. सीतादेवी पत्नी शोभागचन्द शर्मा निवासी होड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. दुर्गादेवी पत्नी गोपाललाल शर्मा निवासी होड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. मंजूदेवी पत्नी किशनलाल शर्मा निवासी होड़ा तह. माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. तहसीलदार माण्डलढ़ (अप्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955</u>
<u>–: निर्णय :–</u>

दिनांक 03.01.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 130 रकबा 15 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि पर आने जाने, सजबेल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु वर्षों से करणपुरा से बल्दरखा जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर अपनी स्वयं की आराजी संख्या 128 की उत्तरी मेड़ पर होकर आराजी संख्या 128 की पूर्वी मेड़ पर स्थित रास्ते से होते हुए बिलानाम सरकारी भूमि आराजी संख्या 481 / 130 की पश्चिमी मेड़ पर स्थित रास्ते से होकर पहुँचते है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौडा है तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्षों से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है, परन्तु दिनांक 15.10.2018 को विपक्षी संख्यां 1 द्वारा रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थीगण को रोक दिया गया है तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थीगण को अपनी जमीन पर पहुँचना बन्द हो गया है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की जमीन पर आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा रास्ता बन्द कर देने के बाद

प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते को रिकॉर्ड एवं नक्शे में रास्ता दर्ज कराए जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नहीं रहा है। रास्ते में विपक्षी संख्या 1 की जो भी जमीन आएगी उसका न्यायालय आदेशानुसार मुआवजा प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है। उपरोक्त वर्णित रास्ते को रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। अतः निवेदन है कि ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी संख्या 130 पर आने जाने, सजबैल ट्रैक्टर लाने ले जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 की कृषि भूमि आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ पर 15 फीट चौडा रास्ता रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भिजवाया जाकर करवायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.11.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 128 रकबा 4.03 बीघा व आराजी संख्या 130 रकबा 15 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 130 में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि में रास्ता दर्ज करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके बारे में भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि के आराजी संख्या 128 की पूर्वी मेड़ से होकर आराजी संख्या 480/127 के उत्तरी पूर्वी कोने से होकर बिलानाम आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ से होकर स्वयं की आराजी संख्या 130 में जाता है। इस रास्ते का उपयोग पूर्ववर्ती खातेदार व वर्तमान खातेदार प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को भविष्य में बन्द करने की आशंका के चलते राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। आराजी संख्या 480/127, 481/130 बिलानाम काबिल काश्त रिकॉर्ड दर्ज है। आराजी संख्या 480/127 के उत्तरी कोने से 0.01 बीघा भूमि व आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ पर 0.04 बीघा भूमि कुल रकबा 0.05 बीघा जो वर्तमान में रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसको लाल स्याही से दर्शाया गया है को नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि राजकोष में जमा कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुतम है। उक्त भूमि रीको के पास स्थित है। ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ की

राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर से दूरी की डी.एल.सी. दर 124225/– रूपये प्रति बीघा है। डी.एल.सी. दर से भूमि 0.05 बीघा की भूमि की कीमत 31057/–रूपये की दुगुनी राशि 62114/– रूपये राजकोष में जमा करने पर गै.मू. रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

दिनांक 03.01.2020 को पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजस्थान सरकार की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया गया कि मौजा करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 130 रकबा 15 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि पर आने जाने, सजबेल ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु वर्षों से करणपुरा से बल्दरखा जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर अपनी स्वयं की आराजी संख्या 128 की उत्तरी मेड़ पर होकर आराजी संख्या 128 की पूर्वी मेड़ पर स्थित रास्ते से होते हुए बिलानाम सरकारी भूमि आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ पर स्थित रास्ते से होकर पहुँचते है। उक्त रास्ता मौके पर 15 फीट चौडा है तथा प्रार्थीगण द्वारा वर्षों से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की जमीन पर आने जाने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु बिलानाम सरकारी भूमि आराजी संख्या 481/130 में से रास्ता चाहने हेतु मा0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जावें। इस हेतु जो भी नियमानुसार राशि राज्य सरकार को देय होगी वह राशि प्रार्थीगण राजकोष में जमा कराने हेतु सहमत है।

पेरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए निवेदन किया गया कि यदि ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ की बिलानाम आराजी संख्या 480/127, 481/130 में से 0.05 बीघा भूमि को रास्ते हेतु दर्ज करने में प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार जमा होने योग्य राशि राजकोष में जमा करवा दी जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होते है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी संख्या 1 प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, भू–अभिलेख निरीक्षक माण्डगलढ़ की रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पाई गई।

ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि आराजी संख्या 130 रकबा 15 बीघा पर आने जाने के लिए अपनी स्वयं की आराजी संख्या 128 से होकर ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ की बिलानाम आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ पर 15 फीट चौडा रास्ता रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा सहमति प्रदान की गई है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को कृषि भूमि आराजी संख्या 130 रकबा 15 बीघा ग्राम करणपुरा पटवार मण्डल होड़ा तहसील माण्डलगढ़ पर पहुँचने के लिए एवं सजबैल, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के आराजी संख्या 480/127 के उत्तरी कोने से 0.01 बीघा भूमि व आराजी संख्या 481/130 की पश्चिमी मेड़ पर 0.04 बीघा भूमि कुल रकबा 0.05 बीघा भूमि को 251 (क) में राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसार 1,24,225/ रूपये प्रति बीघा डी0एल0सी0 की दर से भूमि 0.05 बीघा के 31,057/ रूपये की दुगुनी राशि 62,114/ रूपये राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में जमा करवाने पर गैर मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा।

आदेश आज दिनांक 03.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.01.03 17:44:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: